

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 5, 2001/पौष 15, 1922

No. 11]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 5, 2001/PAUSA 15, 1922

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2001

का. आ. 11(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 79(अ) तारीख 3 फरवरी, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"1. डा. सी.आर. हाजरा,
कृषि आयुक्त,
कृषि और सहकारिता विभाग,
नई दिल्ली।

अध्यक्ष"।

2. वह तब तक पद धारण करते रहेंगे जब तक कि केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड के सदस्य का पद धारण करेंगे।

[फा. सं. 19-4/95-पीपी-1]

पी.डी. सुधाकर, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल अधिसूचना का.आ. सं. 79(अ), तारीख 3 फरवरी, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चात्पूर्ति संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए थे :—

- (i) सं. का.आ. 420(अ), तारीख 30-5-97
- (ii) सं. का.आ. 71(अ), तारीख 20-1-98
- (iii) सं. का.आ. 23(अ), तारीख 3-1-2000
- (iv) सं. का.आ. 972(अ), तारीख 2-11-2000

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Co-operation)
NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2001

S. O. 11(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation) number S.O. 79(E), dated the 3rd February, 1997, namely :—

In the said notification, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

- “1. Dr. C.R. Hazra,
Agriculture Commissioner,
Department of Agriculture and Co-operation,
New Delhi. Chairman”.
2. He shall hold the office as long as he holds the office of the Member, Central Insecticides Board.

[F. No. 19-4/95-PP.I]

P. D. SUDHAKAR, Jt. Secy.

Foot Note :—The Principal notification was published vide No. S.O. 79(E) dated the 3rd February, 1997 and subsequently amended vide

- (i) No. S.O. 420(E) dated 30-5-97.
- (ii) No. S.O. 71(E) dated 20-1-98.
- (iii) No. S.O. 23(E) dated 3-1-2000.
- (iv) No. S.O. 972(E) dated 2-11-2000.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2001

का.आ. 12(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य, कृषि, सामूहिक विकास और सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 301, तारीख 27 फरवरी, 1971 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

(1) उक्त अधिसूचना में, मद संख्यांक (xvi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (xvi) के अधीन नामनिर्देशित सदस्य	अवधि जिस तक के लिए नामनिर्देशित किया गया है
“(xvi) डा. वाई. के. गुप्ता, आचार्य, भेषजगुण विज्ञान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए)”;

(2) मद संख्यांक (xix) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (xix) के अधीन नामनिर्देशित सदस्य	अवधि जिस तक के लिए नामनिर्देशित किया गया है
“(xix) डा. सी.आर. हाजरा, कृषि आयुक्त, कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।	7-1-2001 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या कृषि आयुक्त के रूप में उसकी प्रतिनियुक्ति की अवधि तक के लिए इसमें से जो भी पूर्वतर हो”।

[फा. सं. 19-1/2000-पी.पी. 1]

पी. डी. सुधाकर, संयुक्त सचिव

टिप्पण : — मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 301, 27 फरवरी, 1971 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चात्पूर्ति संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए थे :—

- (i) सा.का.नि. 1216 तारीख 19 अगस्त, 1971
- (ii) सा.का.नि. 478 (अ) तारीख 10 अगस्त, 1976
- (iii) का.आ. 848 (अ) तारीख 25 अक्टूबर, 1989
- (iv) का.आ. 528 (अ) तारीख 19 जुलाई, 1993
- (v) का.आ. 849 (अ) तारीख 20 अक्टूबर, 1995
- (vi) का.आ. 346 (अ) तारीख 24 अप्रैल, 1997
- (vii) का.आ. 70 (अ) तारीख 20 जनवरी, 1998
- (viii) का.आ. 132 (अ) तारीख 24 फरवरी, 1999
- (ix) का.आ. 807 (अ) तारीख 6 सितम्बर, 2000
- (x) का.आ. 1095 (अ) तारीख 7 दिसम्बर, 2000

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2001

S.O. 12(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby further amends the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation number GSR 301, dated the 27th February, 1971, namely :—

In the said notification,—

(1) for item number (xvi) and the entries relating thereto, the following item number and entries shall be substituted, namely :—

(Period upto which nominated)

Member nominated under clause (xvi) of sub-section (3) of section 4 :

“(xvi) Dr. Y. K. Gupta,
Prof. of Pharmacology,
All India Institute of Medical
Science, New Delhi.

(For a period of 3 years with
effect from the date of
publication of this
notification)”;

(2) for item number (xix) and the entries relating thereto, the following item number and the entries shall be substituted, namely :—

Member nominated under clause (xix) of sub-section (3) of section 4.

“(xix) (c) Dr. C. R. Hazra,
Agriculture Commissioner,
Department of Agriculture and Cooperation
Government of India,
New Delhi.

(For period of 3 years with
effect from 7-1-2001 or till
his deputation as Agriculture
Commissioner, whichever is
earlier)”.

[F. No. 19-1/2000-PP.I]

P. D. SUDHAKAR, Jt. Secy.

Note.—The principal notification was published in the Gazette of India vide number G.S.R. 301, dated 27th February, 1971 and subsequently amended vide :—

- (i) G.S.R. 1216, dated the 19th August, 1971.
- (ii) G.S.R. 478(E), dated the 10th August, 1976.
- (iii) S.O. 848(E), dated the 25th October, 1989.
- (iv) S.O. 528(E), dated the 19th July, 1993.
- (v) S.O. 849(E), dated the 20th October, 1995.
- (vi) S.O. 346(E), dated the 24th April, 1997.
- (vii) S.O. 70(E), dated the 20th January, 1998.
- (viii) S.O. 132(E), dated the 24th February, 1999.
- (ix) S.O. 807(E), dated the 6th September, 2000.
- (x) S.O. 1095(E), dated the 7th December, 2000.